दीपक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(दया चौधरी, जे.)

दया चौधरी जे. के समक्ष

दीपक ------- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य------ उतरवादीगण

सिविल रिट पैटीशन नंबरः– 5594 ऑफ **2018**

19 मार्च 2018

हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 - धारा 3(1)(बी) और 3(2)(बी) - हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012 - धारा 2 (एए)) -- स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए पैरोल के लिए मंजूरी ___ याचिका स्वीकार की गई --- पैरोल के लाभ से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब रिहाई से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना हो --- संवैधानिक उल्लंघन या वैधानिक प्रावधान प्रशासनिक निर्णय को अमान्य कर देगा ----- प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय उचित होना चाहिए।

यह माना गया कि ऊपर दिए गए प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक खूंखार कैदी भी पुलिस हिरासत में रहते हुए 96 घंटे की अस्थायी अवधि के लिए पैरोल पर जाने का हकदार है।

(पैरा 13)

आगे यह माना गया कि याचिकाकर्ता खूंखार कैदी की श्रेणी में नहीं आता है और इसके अलावा, वह खूंखार कैदी नहीं है .... किसी कैदी की पैरोल पर रिहाई को अस्वीकार किया जा सकता है यदि पैरोल पर उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा हो। याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा न करने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश केवल यह है कि याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और कई मामलों में शामिल है। पैरोल को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना है।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि यद्यपि इस अदालत को अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं करना है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई या यहां तक कि एक गैर-वैधानिक

प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से संबंधित हो सकती है। संवैधानिक प्रावधानों या किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन प्रशासनिक निर्णय को अमान्य कर देगा। हालाँकि, प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय उचित होना चाहिए।

(पैरा 15)

रविंदर बांगड़, वकील, याचिकाकर्ता के लिए
अनिल मेहता, डी.ए.जी., हरियाणा

दया चौधरी जे.

(1) वर्तमान याचिका में प्रार्थना उत्तरदाताओं को स्कूल में बच्चों के प्रवेश के उद्देश्य से चार सप्ताह की अवधि के लिए आपातकालीन पैरोल पर याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए है।

(2) याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 27/549/59 की धारा 148, 149, 307, 302, 427, 452, 120-बी, 216 के तहत दर्ज मामले एफआईआर संख्या 446 दिनांक 21.11.2013 में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस थाना बादशाहपुर, जिला गुरूग्राम में शस्त्र अधिनियम. ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष अपील दायर की, जो स्वीकार किए जाने के बाद लंबित है। याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा बच्चों के प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से 07.02.2018 को अधीक्षक, जिला जेल यमुनानगर को एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि गांव के सरपंच द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें पैरोल की अवधि के दौरान गांव में शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है। याचिकाकर्ता का दावा न तो खारिज किया गया है और न ही मंजूर किया गया है. विद्वान वकील का यह भी कहना है कि बच्चों के कल्याण के लिए प्रवेश आवश्यक है और प्रवेश के लिए पैसे की व्यवस्था करने और बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए परिवार में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है।

(4) कार्रवाई का नोटिस जारी करने के बाद, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन बादशाहपुर, गुरुग्राम के शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट आज अदालत में दायर की गई है और इसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।

(5) विद्वान राज्य वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी सात साल की है और पहले से ही डीपीएस स्कूल, सिकंदरपुर, गुरुग्राम में कक्षा-2 में पढ़ रही है। याचिकाकर्ता का बेटा लगभग पांच साल का है और वर्तमान में घर में रह रहा है। याचिकाकर्ता के पिता, जिनकी उम्र लगभग 57 वर्ष है, याचिकाकर्ता के घर में रहते हैं और काफी सक्रिय हैं। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता का एक भाई है और परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं।

(6) विद्वान राज्य वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का इस आधार पर विरोध किया है कि परिवार के अन्य सदस्य, जो याचिकाकर्ता के घर में रह रहे हैं, प्रवेश के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं। याचिकाकर्ता जघन्य अपराध में शामिल है और यदि उसे पैरोल की छूट दी जाती है, तो संभावना है कि वह इसका दुरुपयोग कर सकता है।

(7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं गई और याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सहित फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया।

(8) माना कि पंजीकृत डाक से भेजे गए लिखित अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न तो अभ्यावेदन स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुरोध का इस आधार पर विरोध किया गया है कि परिवार के अन्य सदस्य भी उसी घर में रह रहे हैं और संभावना है कि वह पैरोल की छूट का दुरुपयोग कर सकता है।

(9) अधिनियम, 1988 की धारा 3(1)(बी) और 3(2)(बी) मौजूदा मामले में विवाद का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "3(1) राज्य सरकार, जिला मैजिस्ट्रेट या इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी कैदी, एक अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा कर सकती है, यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि—

(ए) xx xx xx

(बी) स्वयं कैदी, उसके बेटे, बेटी, पोते, पोती, भाई, बहन, बहन के बेटे या बेटी का विवाह मनाया जाना है; या

(सी) xx xx xx

(डी) xx xx xx

(2) जिस अवधि के लिए किसी कैदी को रिहा किया जा सकता है वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ताकि इससे अधिक न हो—

(ए) xx xx xx

(बी) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (बी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है, चार सप्ताह; और

(सी) xx xx xx

(10) खूंखार कैदी को हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"2(एए) 'खूंखार कैदी' का मतलब एक व्यक्ति है, जो—

(i) डकैती, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, सिलसिलेवार हत्या, कॉन्ट्रैक्ट हत्या, फिरौती या जबरन वसूली के लिए हत्या या हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, मौत या सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया है। भारत, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिग को खरीदना या बेचना या सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार या ऐसा अन्य अपराध जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है; या; (ii) खंड (i) के अंतर्गत आने वाले अपराधों को छोड़कर, भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII या XVII में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए पांच साल की निरंतर अवधि के दौरान दोषी ठहराया गया है और दो या अधिक बार कारावास की सजा सुनाई गई है। उपरोक्त, अलग - अलग अवसरों पर एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं होने पर प्रतिबद्ध है और ऐसी सजा के परिणामस्वरूप कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी पड़ी है:

बशर्ते कि पांच साल की अवधि को दूसरी सजा की तारीख से पीछे की ओर गिना जाएगा और पांच साल की अवधि की गिनती करते समय, वास्तविक कारावास या हिरासत की अवधि को बाहर रखा जाएगा। **स्पष्टीकरण**- कोई दोषसिद्धि जिसे अपील या पुनरीक्षण में रद्द कर दिया गया है और उसके संबंध में किसी कारावास को उपरोक्त उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या

(iii) मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है; या

(iv) जेल परिसर के अंदर सेल फोन का उपयोग करने या सेल फोन/सिम कार्ड रखने का पता चला है; या

(v) उस तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर खुद को आत्मसमर्पण करने में विफल रहा जिस दिन उसे उस अवधि की समाप्ति पर आत्मसमर्पण करना चाहिए था जिसके लिए उसे इस अधिनियम के तहत पहले रिहा किया गया था।

(11) हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 5 ए के तहत खूंखार कैदियों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"**5ए. खूंखार कैदियों के लिए विशेष प्रावधान** - धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, किसी खूंखार कैदी को अस्थायी आधार पर या छुट्टी पर रिहा नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि एक खूंखार कैदी को अपने बच्चे, पोते-पोती या भाई-बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है; या उसके दादा-दादी, माता-पिता, दादा-दादी, सास-ससुर, भाई-बहन, पति/पत्नी या बच्चे की मृत्यु पर, सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के तहत अड़तालीस घंटे की अवधि के लिए जिसका निर्णय संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में रिहा होने वाले खूंखार कैदी के पूरे विवरण के साथ सूचना चौबीस घंटे के भीतर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी।

(12) हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2014 की धारा 2 के तहत धारा 5 ए के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:-

"बशर्ते कि एक खूंखार कैदी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए छियानवे घंटे के लिए और अपने बेटे की शादी के लिए बहत्तर घंटे के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत अस्थायी आधार पर रिहा किया जा सकता है, जिसका निर्णय संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। वह इस संबंध में चौबीस घंटे के भीतर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को रिहा किए जाने वाले खूंखार कैदी की पूरी जानकारी देगा।"

(13) ऊपर दिए गए प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि एक खूंखार कैदी भी पुलिस हिरासत में रहते हुए 96 घंटे की अस्थायी अवधि के लिए पैरोल पर जाने का हकदार है।

(14) याचिकाकर्ता खूंखार कैदी की श्रेणी में नहीं आता है और इसके अलावा, वह खूंखार कैदी नहीं है। अधिनियम की धारा 6(2) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 3 और 4 में किसी भी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत रिहा होने का हकदार नहीं है, यदि जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर, जहां उसके साथ परामर्श आवश्यक है, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी संतुष्ट है कि उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि, पैरोल पर किसी कैदी की रिहाई को अस्वीकार किया जा सकता है यदि पैरोल पर उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना हो। याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा न करने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश केवल यह है कि याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और कई मामलों में शामिल है। पैरोल को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना है। ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख न तो उत्तर में और न ही विद्वान राज्य वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में किया गया है। 2009 के सीआरएम-एम नंबर 34013 शीर्षक **वरुण @ गुल्लू बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में 26.04.2010** को तय की गई टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं: -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैरोल या फर्लो एक कैदी को दी गई छूट है, लेकिन ऐसी छूट का अनुदान कानून द्वारा विनियमित होता है और उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, एक कैदी पैरोल का हकदार है। एक प्रतिमा द्वारा परिचालित, एक कैदी को पैरोल या फर्लो पर रिहा करने की छूट है;

इसलिए, एक कैदी की रिहाई उस क़ानून के तहत बनाए गए अधिकार का प्रयोग है। इसलिए, अधिनियम के तहत अधिकारी मनमाने ढंग से, मनमौजी तरीके से या बिना सोचे समझे कार्य नहीं कर सकते। किसी कैदी को रिहा करने की वैधानिक शक्ति पैरोल या फर्लो का प्रयोग विधायिका की मंशा और किसी कैदी को पैरोल या फर्लो में प्रवेश देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से किया जाना है। ऐसे मामलों में, जो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष पहले आए हैं, अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पैरोल या छुट्टी को अस्वीकार करने का सामान्य   आधार यह है कि शांति भंग होने की आशंका है। यदि कैदी को फरलो पर पैरोल पर रिहा किया जाता है। जिस प्रश्न पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को क्या खतरा है और क्या शांति भंग होने की आशंका वाले आदेश में विचार करना, यदि कैदी को पैरोल या फर्लो पर रिहा किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 6 विचार की गई शर्तों को पूरा करता है। हमने पाया है कि अधिनियम के तहत अधिकारी केवल शांति भंग होने की आशंका के कारण पैरोल या फर्लो के अनुरोध को लगातार अस्वीकार कर रहे हैं, जबकि अधिनियम के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं है। इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद ऐसा है कि किसी कैदी द्वारा शांति भंग करने की आशंका पैरोल या फर्लो के अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार नहीं है।"

(15) माना जाता है कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में प्रशासनिक निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालाँकि इस अदालत को अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं करना है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई या गैर-वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई भी न्यायिक समीक्षा से संबंधित हो सकती है। संवैधानिक प्रावधानों या किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन प्रशासनिक निर्णय को अमान्य कर देगा। हालाँकि, प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय उचित होना चाहिए। तर्कसंगतता के सिद्धांत को 'वेडनसबरी सिद्धांत' के रूप में जाना जाता है, जिसमें तीन तत्व हैं यानी प्राधिकरण को सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए; इसे विचार-विमर्श से अप्रासंगिक तथ्यों को बाहर करना चाहिए; और निर्णय न तो विकृत और न ही अतार्किक होना चाहिए। 'विकृत' का अर्थ अनुचित या विरोधाभासी है, लेकिन प्रशासनिक निर्णय के संदर्भ में, यह किसी भी सबूत द्वारा

समर्थित नहीं किए गए निर्णय का प्रतीक है और 'तर्कहीन' का अर्थ बेतुका या अतार्किक निर्णय है।

(16) यह प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है - उत्तर में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी है, जो सात साल की है और डीपीएस स्कूल, सिकंदरपुर, गुरूग्राम में कक्षा-2 में पढ़ रही है। याचिकाकर्ता का बेटा पांच साल का है और घर में रहता है। परिवार ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाने की योजना बनाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता की उम्र 57 वर्ष है और वे सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन प्रवेश लेने का निर्णय; किताबें और स्टेशनरी खरीदने का दायित्व भी केवल याचिकाकर्ता को ही लेना होगा। ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है। याचिकाकर्ता को न केवल व्यवस्था करनी है बल्कि अपनी बड़ी बेटी को अगली कक्षा में प्रवेश दिलाने या छोटे बेटे को स्कूल में प्रवेश दिलाने का निर्णय भी लेना है और उसकी उपस्थिति भी आवश्यक है. प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करना चाहिए था लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि न तो दावा स्वीकार किया गया है और न ही खारिज किया गया है और संबंधित अधिकारी मामले को दबाए बैठे हैं।

(17) ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है और याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, पैरोल की 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर, याचिकाकर्ता को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, पैरोल निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी-

(i) याचिकाकर्ता 2,00,000/- रुपये की राशि में जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की एक स्थानीय जमानत के साथ एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा। ।

(ii) याचिकाकर्ता जेल अधीक्षक को एक टेलीफोन नंबर प्रस्तुत करेगा जिस पर आवश्यकता पड़ने पर उससे संपर्क किया जा सके। अपनी रिहाई के बाद, वह संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को अपना टेलीफोन नंबर भी सूचित करेगा।

(iii) याचिकाकर्ता को पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के निवास के आसपास के क्षेत्र से दूर रहना होगा।

दीपक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(दया चौधरी, जे.)

(iv) पैरोल की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

(v) पैरोल की अवधि की गणना उस तारीख के अगले दिन से की जाएगी जब याचिकाकर्ता को जेल से रिहा किया जाएगा।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

संगीता ट्रांस्लेटर